



2026:AHC-LKO:42170

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
रिट-बी संख्या - 555 वर्ष 2026

उदय भान याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व,

लखनऊ, उ० प्र० एवं 6 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : राम मिलन यादव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुनील कुमार

न्यायालय संख्या-3

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम मिलन यादव, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री संदीप शर्मा और श्री अनिल के० त्रिपाठी अधिवक्ता, जिन्होंने प्रतिवादी संख्या 5, 6 और 7 की ओर से वकालतनामा दाखिल किया जिसे अभिलेख पर लिया गया, को सुना ।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. चूंकि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किसी तथ्यात्मक बिंदु पर बल देने का प्रस्ताव नहीं है, प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस स्तर पर प्रति शपथपत्र दाखिल किए बिना वाद के अंतिम निराकरण पर तर्क आगे बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की है।

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन दाखिल वर्तमान याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा राजस्व पुनरीक्षण संख्या 1994/2026/सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 219 के अधीन पारित दिनांक 29.05.2026 के आदेश की वैधता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 219 के अधीन अपर आयुक्त (न्यायिक), अयोध्या मंडल, अयोध्या द्वारा वाद संख्या 1064 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 21.05.2026 के आदेश के विरुद्ध विरोधी पक्षकार संख्या 5, 6 और 7 द्वारा दाखिल पुनरीक्षण को स्वीकार कर लिया गया है और दिनांक 21.05.2026 के आदेश के संचालन और प्रभाव पर रोक लगा दी गई है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 219 में निहित प्रावधानों की ओर आकर्षित किया, जो निम्नानुसार है:-

"219. पुनरीक्षण.- (1) राजस्व परिषद या आयुक्त या अपर आयुक्त या कलेक्टर या अभिलेख अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी, अपने अधीनस्थ किसी राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी वाद या की गई किसी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कार्यवाही का अभिलेख तलब कर सकता है जिसमें कोई अपील नहीं होती है या जहाँ अपील होती है लेकिन दाखिल नहीं की गई है, पारित आदेश या की गई कार्यवाही की वैधता या औचित्य के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजन से और यदि ऐसा अधीनस्थ राजस्व न्यायालय प्रतीत होता है कि उसने -

(क) विधि द्वारा उसमें निहित नहीं की गयी अधिकारिता का प्रयोग किया है, या

(ख) इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है, या

(ग) अधिकारिता के प्रयोग में अवैध रूप से या तात्त्विक अनियमितता के साथ कार्य किया है, तो राजस्व परिषद या आयुक्त या अपर आयुक्त या कलेक्टर या अभिलेख अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी, यथास्थिति, वाद में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(2) यदि इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा राजस्व परिषद या आयुक्त या अपर आयुक्त या कलेक्टर या अभिलेख अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी में से किसी के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है, तो उसी व्यक्ति द्वारा उनमें से किसी अन्य के समक्ष कोई और आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा।"

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. प्रश्नगत आदेश द्वारा राजस्व परिषद ने अपर आयुक्त (न्यायिक), अयोध्या द्वारा वाद संख्या 1064 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 21.05.2026 के आदेश के विरुद्ध दाखिल पुनरीक्षण को स्वीकार कर लिया , जिसके द्वारा अपर आयुक्त ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के पश्चात् उप-जिलाधिकारी, कादीपुर, सुल्तानपुर द्वारा पारित दिनांक 28.01.2025 के आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 219 के अधीन दाखिल पुनरीक्षण को मात्र स्वीकार किया और पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपर आयुक्त द्वारा उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 219 के अधीन दाखिल पुनरीक्षण को स्वीकार करते हुए पारित दिनांक 21.05.2026 का आदेश निर्णीत वाद नहीं है और इसलिए उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 219 के अधीन धारा 219 के अंतर्गत दाखिल पुनरीक्षण को स्वीकार करने वाले आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण पोषणीय नहीं होगा।

7. प्रतिवादी संख्या 5, 6 और 7 के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत करते हुए आदेश को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया कि अपर आयुक्त ने मामले के प्रासंगिक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तथ्यात्मक पहलू पर विचार किए बिना दिनांक 21.05.2026 का आदेश पारित किया है। तथापि, वह इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि दिनांक 21.05.2026 का आदेश किसी वाद का निर्णय नहीं करता है।

8. वाद के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों तथा उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 219 के अधीन निहित प्रावधानों के दृष्टिगत, मैं याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में बल पाता हूँ और मेरा मत है कि चूंकि अपर आयुक्त (न्यायिक), अयोध्या मंडल, अयोध्या द्वारा पारित दिनांक 21.05.2026 का आदेश किसी वाद का निर्णय नहीं करता है और वह मात्र सुनवाई हेतु पुनरीक्षण को स्वीकार करता है, अतः पुनरीक्षण को स्वीकार करने और प्रश्नगत आदेश के संचालन पर रोक लगाने वाले आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण पोषणीय नहीं होगा।

9. तदनुसार, वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है।

10. राजस्व परिषद द्वारा राजस्व पुनरीक्षण संख्या 1994/2026/सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 219 के अधीन 'जमुना प्रसाद वर्मा एवं अन्य बनाम उदय भान एवं अन्य' शीर्षकित दिनांक 29.05.2026 का प्रश्नगत आदेश विधि में असंवैधानिक है और एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

11. प्रतिवादी संख्या 5, 6 और 7 के लिए यह स्वतंत्र छोड़ा जाता है कि वे लंबित पुनरीक्षण संख्या 1064 वर्ष 2026 में अपर आयुक्त के समक्ष अपने लिए उपलब्ध सभी अभिवचन उठाते हुए आवेदन दाखिल करें और विद्वान अपर आयुक्त पक्षकारों द्वारा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उठाए गए अभिवचनों पर विचार करने के पश्चात् विधि के अनुसार पुनरीक्षण का शीघ्रता से निर्णय करेंगे।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

29 जून 2026

आरती/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।